समयबद्ध/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-12/09/26-2-2014

प्रेषक,

के0 राम मोहन राव
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2014

विषय:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं (एन0जी0ओ0) द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ में शासन के पत्रांक-133 भा0स0/26-2-2013 दिनांक 31.10.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराया जाना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में संचालित स्वैच्छिक संगठनों (एन0जी0ओ0) को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। इस हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से जॉच कराने एवं स्थलीय सत्यापन कराने के पश्चात् राज्य सरकार के स्तर से स्वैच्छिक संस्थाओं के आवेदन पत्र सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते है।

3. शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय स्वैच्छिक संस्थाओं के आवेदन पत्र जनपद स्तर पर जॉच न होने के कारण लम्बित पड़े हुये है जिसके परिणामस्वरूप उक्त संस्थाओं के प्रस्तावों को भारत सरकार को भेजा जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

4. अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपके जनपद में स्वैच्छिक संस्थाओं के आवेदन पत्र जॉच के अभाव में लम्बित पड़े हो तो प्राथमिकता पर उक्त लम्बित आवेदन पत्रों की जॉच/सत्यापन का कार्य अपने सक्षम अधीनस्थ अधिकारियों से कराकर प्रस्ताव प्रत्येक दशा में दिनांक 15.01.2014 के पूर्व निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0/राज्य मद्यनिषेध अधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उक्त प्रस्तावों को भारत सरकार को समय से प्रेषित किया जा सकें।

भवदीय

के0 राम मोहन राव
सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in